

कार्यालय,
संचिव, प्रान्तिक शिला परिषद्
हत्तर प्रदेश नव्यनक्ष.

प्रकाश - पाठ्यालय / परिवहन सम्बन्धाता / २०२० / १९७१

新編中華書局影印

— कार्यक्रम आग —

अधिक सार्वत्रिक गवर्नेंटों द्वारा प्रोत्तरा तथा दिल्ली/काशीनी आदित्यामा जीव बुलिया। अब दिल्ली द्वारा दिवाने का 2020-21 का बिलिया दाता ताजीका लिया जाएगा जिसकी जो अनुसारण प्रयत्न दिल्ली द्वारा दिवाने का 2020-21 का बिलिया दाता ताजीका लिया जाएगा तदनन्तर जनमृत्यु/मरणघटा प्रियतर प्राप्त होने के उत्तरान्तर प्रतिविधि दिल्ली द्वारा दिवाने के जनमृत्यु/मरणघटा प्रियतर प्राप्त होने का अनुसारण दिवाने का 14-5-2020 को असम प्रतिविधि दिल्ली द्वारा दिवाने का जनमृत्यु/मरणघटा प्रियतर प्राप्त होने के उत्तरान्तर प्रतिविधि दिल्ली द्वारा दिवाने का 2020-21 का आयोगित नाम दस्तावेज़ द्वारा दिल्ली/काशी द्वारा जनमृत्यु/मरणघटा लियाजान/प्रस्तावित/प्रेषित जमाता द्वारा दिल्ली/काशी द्वारा दिवाने की जांच किये जाने का विवर दिया गया।

उक्त नियम का विवर कहाँ है। जब 2020-21 में ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लिए अपनी खाते खोलने की सुविधा दी गई थी, तो इसका लाभ लेने वाले ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ने लगी। लाभ लेने वाले ग्रामीण बैंकों की संख्या 2020-21 में 1,200 से अधिक हो गई।

लिखा-गिभरे वर मिमांसा लिखा गया -
 निष्ठी कौव ने स्थापित छिलोना दग फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाए, जहो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठप्र० सख्तनक रो पूर्व से सम्बद्ध है, एवं रत्न 2020-21 हेतु पीछसीआई० द्वारा उन्हें यथावत अनुमोदन दिस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीछसीआई० द्वारा प्रदान किये गए अनुमोदन दिस्तार के अनुसार उनके नाम के अनुच्छेदित पाठ्यक्रम/प्रबंध समिति के साथ रत्न 2020-21 हेतु परिषद दे समाझूता दिस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-गिभरों किया गया एवं उचितसम्मति से पीछसीआई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिस्तार के अनुक्रम में रत्न 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता दिस्तार दिये जाने का लिखा लिया गया।"

प्राप्ति नं.	प्राप्ति का वर्णन	प्राप्ति का समय	प्राप्ति का विवरण दर्शक का संख्या-११ ने कार्यालय परिषद् द्वारा प्राप्ति का	प्राप्ति का विवरण दर्शक का संख्या-११ ने कार्यालय परिषद् द्वारा प्राप्ति का
५०८	प्राप्ति नं. ५०८ का वर्णन अनुसार इसका विवरण निम्नांकित है।	प्राप्ति का समय प्राप्ति		

卷之三

कार्यालय,

साधिक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संदेशः- प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:

अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा
शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत
प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को
परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई
संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य
मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र०
लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता
विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4008-JAINATH MEMORIAL PHARMACY COLLEGE VILL-
HARAJRAMPUR POST-CHIRKHIT, TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-276202**

परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम
60	60	1	DIPLOMA IN PHARMACY

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992,
सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण
समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के
अतिरिक्त) हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के
अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के
अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश
प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति विवाह बंदी सत्र 2021-22
22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी। JAINATH MEMORIAL PHARMACY COLLEGE
HARAJRAMPUR, LALGANJ, AZAMGARH

या को (उप्रो प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) नियमानुसार-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

19

संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ₹०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, ३०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मान्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छावावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंजिंग रोकले के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वा प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- 3489

संचिव, प्राविदिक विद्या परीक्षा

Digitized by srujanika@gmail.com

क्रमांक:- आधिकारिक परिवर्तन क्रमांक 2022/7812

उत्तरांक: दिनांक: 30/06/2022

-कामदेव नाम-

आखिल भारतीय सूक्ष्मीयी शिक्षा परिषद्, नड़े दिल्ली कालेजी भारतियाल अधिक वृद्धिकारा, नड़े दिल्ली द्वारा शिक्षिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षोंमा स्वतीय सूक्ष्मीयी शिक्षण संस्थाओं को अनुमतिदात पटाक दिए जाने के उपरांत प्राचीनिक शिक्षा परिषद्, ३००० लखलक में सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग द्वारा दिए जाने हेतु दिल्ली २०/०१/२०२१ को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बठक संपन्न हुई। बठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नड़े संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदे संघरणित संस्थाओं का सम्बद्धता विभाग प्राप्ति करा प्रवेश कराया गया। वृद्धि समिति अन्य सदी पर विधाद करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय दिया गया।

सम्बद्धता समिति की छवक में लिये गये विवरों के अनुसार से विस्तृत संक्षेप की प्राचीनिक शिक्षा योगिकद; 30 दश वर्ष से अधिक योग्यता प्राप्ति उपर्युक्त विस्तृत सम्बद्धता समिति की जानकी है।

जैन वार्षिक छवि तालि - 4995-JAINATH MEMORIAL PHARMACY COLLEGE

क्रमांक	नाट्यकला का नाम	प्रभाकर सीरीज़ ०५०/ नी०सी०आ५० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित परवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित परवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्ती

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0क०, ए0सी0आई0 द्वारा लिखित की गयी सभी सन्मी का प्र०ग्राम प्राप्ति सरेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी परिषद एकट 1962 ज्या प्राकिंपिक विभा परिषद लिखियमाहती 1992 लिखियमाहती-2000, संमान लिखियमाहती-2010 तथा समय-समय पर लिखित शासनादेशी का अनुप्रयत्न सरेगी तथा शुल्क लिखियमान मानित द्वारा लिखित शुल्क तोह बर्चीय इडी0 पाहुक्कनी हेतु रु0 20160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय शासनादेशी पाहुक्कन हेतु रु0 46000.00/- प्रतिवर्ष एवं प्रति तथा दो वर्षीय पाहुक्कन (दो वर्षीय शासनादेशी पाहुक्कन के अनिवार्य) हेतु रु0 22600.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के प्राप्ति किया जायेगा। उपरोक्त के अनिवार्य द्वारा उत्तर प्रदेश में समय-समय पर शासन द्वारा लिखित किये जाने वाले शासनादेशी प्रभावी होगा, और तदनुसार कारोबारी होगा। जिस लिखियमान मानित द्वारा यदि सन् 2022-23 हेतु जोस का प्र०ग्राम प्राप्ति किया जाता है, तो उसी सी लिखियमान दरी लागू होगी।
 - ✓ संस्था ने प्र०ग्राम दरीश परिषद द्वारा आवेदित जावी को ही प्र०ग्राम हिया जाएगा।
 - ✓ संस्था का समय-समय पर लिखित शासनादेशी के अनुसार लिखियमान एवं समबद्धता शुल्क ज्ञान करता होगा।
 - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिखित लिखियमान/अधिकारियमान/शासनादेशी/लिटिशी एवं लिखियमान, पाकिस्तानी विभा परिषद, इडी0 तथा प्राकिंपिक विभा परिषद, इडी0 द्वारा बनाए गए लिखित, लिखियमान, जादेशी एवं लिटिशी का पालन करने के लिए काल्पनिक है।
 - ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0क०, ए0सी0आई0 से अनुमोदित लिखियमान किया जाता है तो इस संबंध में समाज उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कारोबारी के लिए संभाल फरवर उत्तराधिकारी होगी। प्राकिंपिक विभा परिषद, संचुल्क प्र०ग्राम परिषद, प्र०ग्राम परिषद, प्राकिंपिक विभा लिखित शासन उत्तर प्रदेश शासन के लिए यह यह बाहर कारोबारी होगा। जिस द्वारा किसी प्रकार की प्रतिरूपि संबंधी अदाय कियो जाता है तो समर्पण प्रतिरूपि संबंधी संस्था का कर्तव्य होगा।
 - ✓ संस्थानी को प्र०ग्राम उत्तर प्रदेश परिषद, उत्तर प्रदेश संचुल्क द्वारा प्रतिक वर्द एवं शुल्क हेतु आयोगित काउनिसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0क०, ए0सी0आई0 से अनुमोदित प्राप्ति का प्रतिकृप कराना होगा अन्यथा उन्हें प्र०ग्राम की काउनिसिलिंग के साप्तरण से प्र०ग्राम परिषद के आधार पर/ जीधे प्र०ग्राम उत्तराधिकार नहीं की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्र०ग्राम हेतु समय-समय पर लिखित लिखियमान आवकान शाप्तकारी होगा।
 - ✓ संस्था को उत्तर लिखियमान पर संस्था की समर्पण कुप्रयाप उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्र०ग्राम की काउनिसिलिंग के साप्तरण से प्र०ग्राम परिषद के आधार पर/ जीधे प्र०ग्राम उत्तराधिकार नहीं की जायेगी।
 - ✓ संस्था का शिखण-प्रक्रियण हेतु उपद्रवन बानारण उपलब्ध कराने के हाथ रिक्ति राज्यों के समर्पण में समर्पण में समर्पण आवश्यक उपलब्ध हुतिशित करनी होगी।

संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था के प्रकारिता अंचालित यानवकास भी घटाये जाने हेतु लिंगरूप इमिटि के समझ उपलब्ध कराए गये अभियंता, भूमि-भवन, जलधार, उपकरण इत्यादि भी यदि संस्था द्वारा किसी अन्य यानवकास के संचालन में योग किया जाता है और परिषट भी इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संकाल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्रवाई की जायगी।

- ✓ संस्था के आधिकारक लिंगरूप लिंगरूप के द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, यानवकास, उपकरण एवं अन्य साक्ष-संज्ञा एवं उपकरण के लिए जारी की जाएगी।
- ✓ संस्था शर्तों का अनुपालन किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में हितमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(एक्टिवर्ड छात्र)

सुचित

पृष्ठा ००- प्राथिपादिक सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिक्रिया:-

प्रभानाथाय (निदेशक) JAINATH MEMORIAL PHARMACY COLLEGE

(एक्टिवर्ड छात्र)

सुचित